न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 15/2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01. कुलदीप पुत्र गोदाराम 02. महेन्द्र पुत्र गोदाराम 03. रीना पुत्री गोदाराम 04. हुक्माराम पुत्र गोदाराम जी जातियान जाट निवासीगण ग्राम बोरानाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.बस्तीराम पुत्र सोनाराम जी जाति जाट निवासी बोरानाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर 02.राजस्थान राज्य जारिये तहसीलदार लूणी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

उपस्थिति –
01.प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजपति।
02.अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता अशोक चौधरी उपस्थित।

आदेश

दिनांक :– 2/8/2022

प्रार्थी ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जिसमे प्रार्थी की खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 84/1 रकबा 1.3112 हैक्टर ग्राम बोरानाडा तहसील झवर आई हुई है प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 84/1 दक्षिण दिशा मे खसरा नम्बर 85 अप्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि आई हुई है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी की कृषि भूमि के पश्चिम की तरफ रास्ता आया हुआ है जो राजस्व नक्शे से स्पष्ट है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के लिए अपनी जोत के लिए कोई भी रास्ता एव वैकल्पिक साधन नही है जिसके कारण प्रार्थी को अपनी जोत के लिए नवीन रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है प्रार्थी की जोत के लिए अप्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 85 की उतरी माठ के सहारे नवीन रास्ता उपलब्ध करवाया जावे जो प्रार्थी की जोत के लिए निकटतम एव लधुतम मार्ग है अन्य कोई भी रास्ता नही है। उक्त 30 फीट के रास्ते के लिए प्रार्थी नियमानुसार प्रतिकर देने को तैयार है। प्रार्थी द्वारा वाछित रास्ते का नजरी नक्शा पेश किया जा रहा है जो प्रार्थना पत्र का एक भाग समझाा जावे। प्रार्थी ने अप्रार्थी के खसरा नम्बर 85 मे से 30 फुट चौडा रास्ता दिए जाने का अनुरोध किया परन्तु अप्रार्थी इंकार कर रहा है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा कोई विकल्प नही है प्रार्थी की जोत के लिए कोई रास्ता नही होने के कारण प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारो से वंचित रह रहा है। इस कारण प्रार्थी को अत्यधिक आवश्यकता है ।प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि भूमि खसरा नम्बर 84/1 ग्राम बोरानाडा के लिए 30 फीट चौडा रास्ता अप्रार्थी सख्या 01 की कृषि भूमि मे से नजरी नवशे के अनुसार रास्ता दिये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 84/1 ग्राम बोरानाडा के लिए नवीन रास्ते की मांग की तथा कथन किया कि उक्त भूमि के लिए कोई रास्ता एव वैकल्पिक साधन का अभाव है,तथा प्रार्थी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

को उक्त भूमि के लिए रास्ते की अत्यन्तिक आवश्यकता है तथा प्रार्थी के खेत के लिए अप्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 85 मे से ही निकटतम एवं लघुतम मार्ग पडता है जो प्रार्थी को उपलब्ध करवाया जावे। इस पर तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट कंमाक/भू.अ/2022/69 दिनांक 13.06.2022 का अवलोकन किया जिसमे खसरा नम्बर 84/1 की भूमि के लिए कोई रास्ता न होने का कथन किया एव उसके लिए खसरा नम्बर 85 की पश्चिम माठ के सहारे से निकटतम एव लघुतम रास्ता होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका रकबा एव प्रतिफल का भी उल्लेख किया हुआ है।

ऐसी स्थिति मे धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्पष्ट प्रावधान है कि किसी खातेदार की जोत मे पहुचने का कोई रास्ता न हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव होने एव रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होने पर लघुतम एव निकटतम मार्ग उपलब्ध करवाये जाने के प्रावधान है। उक्त प्रकरण मे प्रार्थी के अभिवचन /बहस एव तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः–प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि मौका फर्द दिनांक 09.06.2022 मे वर्णित प्रस्तावित रास्ता जो खसरा नम्बर 85 ग्राम बोरानाडा के रूप मे दर्शित किया है उसे राजस्व रेकर्ड एव नक्शे मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज करे मौके पर कायम करे। एव प्रार्थीगण उक्त रास्ते की प्रतिफल की राशि जो मौका फर्द दिनाक 09.06.2022 मे अंकित है वह प्रार्थी द्वारा प्रतिफल राशि के चैक अथवा डी,डी न्यायालय मे जमा करवा दिये जाने पर आदेश की पालना हेतु तहसीलदार झवर को तहरीर जारी की जावे। व मौका फर्द दिनांक 09.06.2022 इस आदेश का अभिन्न अंग समझी जावेंगी । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

(गोपाल परिहार RAS)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

Scanned by CamScanner